

दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

रि.या.(सि.) 1460/2014 और सि.वि.सं. 3039/2014

निर्णय की तिथि: 5 मार्च, 2014

उत्तर प्रदेश राज्य

..... याचिकाकर्ता

द्वारा : श्री अनिल मित्तल, अधिवक्ता

बनाम

श्री महेश कुमार व अन्य

.....प्रत्यर्थीगण

द्वारा : कोई नहीं

कोरम:

माननीय न्यायमूर्ति सुश्री गीता मित्तल

माननीय न्यायमूर्ति सुश्री दीपा शर्मा

न्या. गीता मित्तल, (मौखिक)

1. एक अलग आदेश द्वारा हमने रिट याचिका को खारिज कर दिया है।
अब हम ऐसा करने के अपने कारणों को वर्णित करते हैं।

2. याचीगण ने केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा टी.ए. सं. 2/2007 के साथ टी.ए. सं. 3/2007 में, उक्त मामले इसे सौंपे जाने के उपरांत, पारित दिनांक 1 फरवरी 2013 के आदेश को हमारे समक्ष चुनौती दी है।

3. श्री महेश कुमार लखनऊ विश्वविद्यालय में गणित के व्याख्याता के रूप में काम कर रहे थे, जिस नौकरी को उन्होंने 1952 में सहायक वन संरक्षक के रूप में उत्तर प्रदेश प्रांतीय वन सेवा में शामिल होने के लिए छोड़ दिया था। वर्ष 1960 में, उन्हें विधिवत उप वन संरक्षक के पद पर पदोन्नत किया गया था। उन्हें उप वन संरक्षक के पद पर पदोन्नत किया गया था और जब अखिल भारतीय वन सेवा (आई.एफ.एस.) का गठन किया गया था, तो वे यू.पी. संवर्ग में इसके द्वारा नियुक्त प्रथम व्यक्तियों में से एक थे। श्री महेश कुमार सबसे वरिष्ठ उप वन संरक्षक होने के नाते वैध रूप से 11 मई, 1978 से वन संरक्षक, ग्रेड-II के पद पर पदोन्नत होने के इच्छुक थे। उन्हें 12 जुलाई, 1977 से चयन श्रेणी प्रदान की गई थी, लेकिन कुछ कारणों से उन्हें इसका लाभ नहीं दिया गया था। दुर्भाग्य से वन संरक्षक के पद पर उनकी औपचारिक पदोन्नति से एक दिन पहले 10 मई, 1978 से उन्हें अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर दिया गया था।

4. केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण ने उल्लेख किया है कि संबंधित समय पर तत्कालीन वन संरक्षक श्री एम. पी. त्रिपाठी ने न केवल 12 जुलाई, 1977 से श्री महेश कुमार को चयन श्रेणी का वास्तविक लाभ प्रदान नहीं किया, बल्कि वे उनकी अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिए भी जिम्मेदार थे। उसी समय, उनके स्थापित कनिष्ठ श्री के. बी. श्रीवास्तव को 11 मई, 1978 से अगली ही तारीख को उक्त पद पर पदोन्नत किया गया था। अधिकरण ने अभिनिर्धारित

किया है कि श्री एम. पी. त्रिपाठी की ओर से की गई ये कार्यवाहियाँ उनकी ओर से द्वेष का तत्व स्थापित करने के साथ-साथ अत्यधिक रूप से उस अवैध एवं पक्षपातपूर्ण शैली को भी व्यक्त करती हैं, जिसमें उ.प्र. सरकार के वन विभाग के अधिकारगण कार्य कर रहे थे।

5. श्री महेश कुमार ने एक रिट याचिका के माध्यम से दिल्ली उच्च न्यायालय में अपनी अनिवार्य सेवानिवृत्ति को चुनौती दी, जिसे खारिज कर दिया गया। विद्वान खण्ड पीठ ने ले.पे.अ.सं. 71/1978 में विद्वान एकल न्यायाधीश के निर्णय को उलट दिया। अपने 22 मई, 1979 के आदेश द्वारा इसने 10 मई, 1978 के अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश को भी अपास्त कर दिया।

6. वर्तमान याचीगण ने अभी भी श्री महेश कुमार को उनके वैध लाभ नहीं दिए और इसके बजाय भारत के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष सिविल अपील सं. 2759-6/1979 के माध्यम से खण्ड पीठ के निर्णय को चुनौती दी। इस अपील को उच्चतम न्यायालय ने 6 अगस्त, 1986 के एक आदेश द्वारा निम्नलिखित निर्देश देते हुए खारिज कर दिया था:-

“भारत संघ और उत्तर प्रदेश राज्य की इन अपीलों को खारिज कर दिया जाता है। प्रत्यर्थी उन सभी भत्तों और अन्य लाभों का हकदार होगा जो वह 31 जुलाई 1984, अर्थात्, सेवानिवृत्ति की तारीख, तक सेवा में रहते हुए पाने का हकदार था मानो कि वह इयूटी पर ही था। यदि कोई

पहले से भुगतान किए गए धन को समायोजित किया जाएगा।

सभी अंतरिम आदेश अपास्त किये जाते हैं।

प्रत्यर्थी को वेतन, पेंशन और ग्रेच्युटी व अन्य लाभों का भुगतान किया जाए।

जुर्माने के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।”

7. अधिकरण ने उल्लेख किया है कि उच्चतम न्यायालय और इस न्यायालय के आदेश को संयुक्त रूप से पढ़ने के बाद, श्री महेश कुमार उस तारीख से विभिन्न लाभों के हकदार बन गए जब से उनके स्थापित कनिष्ठ श्री के. बी. श्रीवास्तव को यह लाभ दिया गया था जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:-

- (i) 12 जुलाई, 1977 से प्रभावी चयन श्रेणी (उप वन संरक्षक के पद के लिए)
- (ii) 11 मई, 1978 से प्रभावी वन संरक्षक श्रेणी-II और
- (iii) वन संरक्षक श्रेणी-I 9 जून, 1983 से प्रभावी

8. श्री महेश कुमार को अभी तक वर्तमान याचीगण द्वारा कोई राहत नहीं दी गई थी और वे अभ्यावेदन देते रहे जिनका कोई फायदा नहीं हुआ। अंत में, श्री महेश कुमार को रि.या. सं. 997/1999 और 998/2006 के माध्यम से राहत लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। 7 फरवरी, 2006 के एक आदेश द्वारा, इन रिट याचिकाओं को केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण को

स्थानांतरित कर दिया गया था, जिसके बाद उन्हें टी.ए. सं. 03/2007 (रि.या. सं. 997/1999) और टी.ए. सं. 02/2007 (रि.या. सं. 998/2006) के रूप में पुनः क्रमांकित किया गया था। आवेदक ने टी.ए. सं. 03/2007 में पूर्वव्यापी पदोन्नति और चयन श्रेणी आदि का दावा किया।

9. ऐसा प्रतीत होता है कि 8 नवंबर, 2008 के एक आदेश द्वारा, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण ने टी.ए. सं. 3/2007 और 02/2007 का निपटान किया और 7 सितंबर, 2010 के एक आदेश द्वारा अधिकरण को भेज दिया गया।

10. अधिकरण ने उल्लेख किया है कि इस न्यायालय के समक्ष रिट याचिकाएं लंबित थीं, लेकिन 9 जनवरी, 2001 का आदेश श्री महेश कुमार से संबंधित मूल अभिलेखों को तलब करते हुए पारित किया गया था। आक्षेपित आदेश में लिखा है कि इन दस्तावेजों और अभिलेखों को प्रत्यर्थीगण द्वारा उसके समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जा सका और उनमें से कुछ को विशेष रूप से नष्ट कर दिया गया था जो 1977 में आयोजित डी.पी.सी. से संबंधित था जब श्री महेश कुमार पर विचार किया गया था और नियमों के अनुसार विधिवत गठित डी.पी.सी. द्वारा उनकी योग्यता के आधार पर चयन श्रेणी प्रदान की गई थी।

11. केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा जिन भौतिक तथ्यों पर विचार किया गया है, वे यह हैं कि श्री महेश कुमार को चयन श्रेणी के अनुदान के अनुसार डी.पी.सी. द्वारा अनुकूल रूप से माना गया था और उन्हें 12 जुलाई,

1977 से प्रभावी पाया गया था। श्री महेश कुमार को लाभों से वंचित कर दिया गया और उसके बाद उन्हें लगभग एक साल के भीतर अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर दिया गया। इस प्रकार, 10 मई, 1978 के बाद, वे 31 जुलाई, 1984 को सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने तक सेवा में नहीं थे।

12. प्रत्यर्थीगण का दावा है कि उन्होंने 1 नवंबर 1995 को किसी प्रकार की समीक्षा डी.पी.सी. की थी, क्योंकि आक्षेपित निर्णय के पैरा 6 में, अधिकरण ने उल्लेख किया है कि यह डी.पी.सी. केवल टाइप किए गए कागज के एक टुकड़े पर आधारित थी, जिसमें श्री महेश कुमार की तथाकथित चरित्र सूची में 1966-67 से 1976-77 तक एक पृष्ठ पर प्रासंगिक प्रविष्टियां दी गई थीं।

13. श्री महेश कुमार ने 9 दिसंबर, 2010 को एक शपथ-पत्र दायर किया था, जिसका वर्तमान याचीगण ने खंडन नहीं किया था, जिसमें कहा गया था कि उस कागज के टुकड़े पर भी दिखाई देने वाली कुछ प्रविष्टियों को न्यायिक आदेशों द्वारा पहले ही हटा दिया गया था और 1 नवंबर 1995 को आयोजित समीक्षा डी.पी. सी. द्वारा उन पर विचार किया गया था।

14. अधिकरण ने 1 नवंबर, 1995 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त का अवलोकन किया। इस तथ्य को देखते हुए कि उसी तिथि को गोपनीय रिपोर्ट और मृत आवेदक के सेवा रिकॉर्ड को देखते हुए, 12 जुलाई, 1977 को उप वन संरक्षक के पद के लिए चयन ग्रेड के लिए उनके नाम पर विचार किया

गया और उन्हें उपयुक्त पाया गया; तथ्य यह है कि एक अधिकारी को चयन ग्रेड केवल योग्यता के आधार पर और नियमों के अनुसार दिया जाता है; कि 10 महीने या उससे अधिक की अवधि के भीतर, श्री महेश कुमार को अनिवार्य रूप से सेवा से सेवानिवृत्त कर दिया गया था और इसलिए, वर्ष 1984 में उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि तक कोई एसीआर लिखने का कोई सवाल ही नहीं था। यह प्रत्यर्थागण की ओर से अत्यधिक विरोधाभासी था कि जब से उनके स्थापित कनिष्ठ श्री के. बी. श्रीवास्तव को पदोन्नति और चयन ग्रेड आदि का लाभ नहीं दिया गया था। प्रत्यर्थागण की ओर से यह अत्यधिक विरोधाभासी था कि उनके कनिष्ठ श्री के.बी. श्रीवास्तव को पदोन्नति और चयन ग्रेड आदि का लाभ उसी तिथि से न दिया जाए जिस तिथि से उन्हें दिया गया था।

15. हम पाते हैं कि अधिकरण ने उल्लेख किया है कि यह प्रत्यर्थागण का मामला नहीं था कि श्री महेश कुमार की योग्यता 12 जुलाई, 1977 के बाद अचानक और अत्यधिक रूप से बिगड़ गई जिससे उन्हें विचाराधीन पदोन्नति से वंचित किया जा सके। अधिकरण ने 17 नवंबर, 1992 को वन संरक्षक द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक, लखनऊ, उत्तर प्रदेश को उपरोक्त तर्ज पर लिखे गए पत्र का भी उल्लेख किया है और कहा है कि न्यायालय के आदेश का पालन किया जाएगा और मामले का समाधान किया जाएगा। इस कार्यवाही की मंजूरी मांगी गई थी।

16. इस पृष्ठभूमि में, आक्षेपित आदेश द्वारा, अधिकरण ने 1 नवंबर, 1995 के डी.पी.सी. कार्यवृत्त को अभिखंडित कर दिया है और प्रत्यर्थीगण को आदेश की प्राप्ति की तारीख से पांच महीने की अवधि के भीतर चयन श्रेणी और पदोन्नति का लाभ बढ़ाने का निर्देश देते हुए टी.ए.सं. 3/2007 आवंटित किया है। अधिकरण ने प्रत्यर्थीगण को पदोन्नत पदों के वेतनमान के आधार पर वेतन, पेंशन लाभ, पारिवारिक पेंशन की पुनः गणना करने का निर्देश दिया है, जिसमें आवेदन में दावा की गई तारीखों से आवेदक को 10 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज का भुगतान किया जाना है, अर्थात् उस तारीख से है जब इसे श्री महेश कुमार के तत्काल कनिष्ठ को पांच महीने की अवधि के भीतर दिया गया था।

17. अधिकरण ने आक्षेपित आदेश में उल्लेख किया है कि प्रस्तावना के साथ-साथ रिट याचिका में की गई प्रार्थनाओं से पता चलता है कि उत्तर प्रदेश राज्य अधिकरण के 8 नवंबर, 2008 के आदेश को केवल इस हद तक चुनौती दे रहा था कि चयन समिति की रिपोर्ट को यह मानते हुए अपास्त करने की मांग की गई थी कि श्री महेश कुमार उल्लिखित तिथियों पर पूर्व सूचित पदोन्नति के हकदार थे।

18. हालाँकि, 1 नवंबर, 1986 से 3700-5000 रुपए के वेतनमान के अनुदान और 1 जनवरी, 1996 और 1 जनवरी, 2006 से प्रभावी बाद के

केंद्रीय वेतन आयोगों की सिफारिशों के अनुसार आगे के उन्नयन के बारे में आवेदक की प्रार्थना को चुनौती बरकरार है।

19. इस पृष्ठभूमि में 8 नवंबर, 2008 के आदेश द्वारा उच्च न्यायालय ने केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण को मुख्य रूप से टी.ए. सं. 03/2007 में आवेदक द्वारा की गई प्रार्थनाओं पर मामले की फिर से सुनवाई करने का निर्देश दिया।

20. अधिकरण ने टी.ए. सं. 02/2007 में पारित 31 दिसंबर, 2012 के आदेश का उल्लेख किया है, जिसमें विभिन्न विवरणों का विश्लेषण करने और वर्तमान याचीगण के आग्रह पर प्रार्थना को पुनः प्रस्तुत करने के बाद, अधिकरण ने अभिनिर्धारित किया है कि प्रत्यर्थीगण टी.ए. सं. 02/2007 में प्रार्थना की गई और प्रदान की गई राहत के संदर्भ में देय राशि की अंतिम गणना करेंगे और इस संबंध में एक शपथ-पत्र दायर करेंगे।

21. अधिकरण ने उस शैली पर विचार किया है जिसमें वर्तमान याचीगण कार्यवाही कर रहे थे और यह भी कि उन्होंने गलत तरीके से निर्धारण किया था और उनकी कार्यवाही गलत थी और 8 नवंबर, 2008 और 31 जनवरी, 2012 के अधिकरण के पूर्व आदेशों और 7 सितंबर, 2010 के उच्च न्यायालय के आदेशों के विपरीत थी। इस पृष्ठभूमि में अधिकरण ने निम्नलिखित निर्देश जारी किए:-

“17. इस मामले के मददेनजर, हमें यह मानने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि आवेदक की यह प्रार्थना कि उसे दिनांक 13.3.1987 की अधिसूचना के अनुसार 10.01.1986 से 3700-5000 रुपये के वेतनमान में वेतन की सही समतुल्यता लागू करने के बाद पेंशन, वेतन और बकाया आदि प्रदान किया जाए; और इसे दिनांक 17.10.1997 की अधिसूचना सहपठित भारत सरकार के दिनांक 17.12.1998 के आदेश, जो 01.10.1996 से प्रभावी है, के अनुसार पुनः निर्धारित किया जाए। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि यह पहलू अंतिम हो गया है और प्रत्यर्थीगण को आवेदक के वेतन, पेंशन, पारिवारिक पेंशन और बकाया आदि की उपरोक्त तिथियों से पुनर्गणना करने तथा छोटे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार दिनांक 01.10.2006 से संगत वेतन संशोधन देकर इसे तार्किक निष्कर्ष तक ले जाने की आवश्यकता है। यह स्पष्ट किया जाता है कि टी.ए. संख्या 03/2007 में पहले से दिए गए निर्देशों के अनुसार, आज से पांच महीने की अवधि के भीतर वेतन, पेंशन, पारिवारिक पेंशन और बकाया पर 10% ब्याज के साथ वेतन, पेंशन और पारिवारिक पेंशन के उक्त बकाया प्रत्यर्थीगण द्वारा की पुनर्गणना आवेदकों द्वारा टी.ए. संख्या 02/2007 में की गई प्रार्थना और यहाँ इसमें दिए गए निर्देशों के अनुसा की जानी चाहिए। वास्तव में, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने 18% ब्याज देने पर जोर दिया है, लेकिन मामले के तथ्यों और परिस्थितियों की समग्रता और पूरे मामले में, प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री अनिल मित्तल के निष्पक्ष दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए, हम आवेदक को उपरोक्त संबंधित तारीखों से वास्तविक भुगतान किए जाने तक 10% ब्याज प्रदान करते हैं।”

22. उल्लेखनीय है कि 1978 से 26 वर्षों तक न्याय मांगने के बाद, श्री महेश कुमार का वर्ष 2004 में निधन हो गया। इसके बाद उनके कानूनी उत्तराधिकारी वाद की पैरवी कर रहे हैं। स्वर्गीय श्री महेश कुमार के पक्ष में वाद हेतुक उत्पन्न होने की तारीख से लगभग 36 साल बीतने के बावजूद, वर्तमान प्रत्यर्थागण, जो मृतक के कानूनी उत्तराधिकारी हैं, को अभी भी न्याय नहीं मिला है।

उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, इस रिट याचिका और आवेदन को गुणागुण के अभाव में खारिज किया जाता है।

(गीता मित्तल)

न्यायाधीश

(दीपा शर्मा)

न्यायाधीश

05 मार्च 2014/एमके

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।